न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

वाद संख्या – 14/2016 उनवान – ललिता महला बनाम हरिशचन्द्र आदि

| आदेश | कार्यवाही विवरण | अनु क. दि. |
|---|---|---|
| .05.2018 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी प्रतिवादी नं. 1 की ओर से दिनांक 11.03.2016 को एक प्रार्थना पत्र अं.आदेश 7 निमय 11 व अं0 धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादिया ने जमीन को पैत्रिक भूमि कथित कर अपने पिता के जीवनकाल में उक्त दावा प्रस्तुत कर अपने पिता द्वारा प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में कराये गये बेचान को चुनौती देकर खातेदारी हकों की घोषणा चाही है। दावा सन 2016 में प्रस्तुत किया गया है। वादी को अपने पिता के जीवनकाल में दावा लाने का हक नही है वादिया सहदायिकी नही है। हिन्दु उतराधिकार (संशोधित) अधिनियम 2005 को The Repealing and Amending Act 2015 को Repeal इस कारण धारा 6 हिन्दू उतराधिकार (संशोधित) अधिनियम 2005 के मुताबिक वादीया को दावा लाने का अधिकार नही रहा है और वाद वादिया वादकारण के अभाव में काबिल खारीज है। वादिया का दावा विधि द्वारा वर्जित है। अदालत हाजा ने दावा दर्ज कर कानूनी गलती की है। इसलिये वादिया का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानानुसार खारीज योग्य है। वादिया ने वाद पत्र के माध्यम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा की इस्तदुआ चाही है जबकि वादिया के पिता ने विवादित भूमि प्रार्थी को विक्रय की है, प्रार्थी क्रयानुसार काबिज है तथा नामान्तरकरण भी प्रार्थी के पक्ष में तस्दीक हो चुका है विधि में यह व्यवस्था है कि यदि पैत्रिक सम्पति का विक्रय पिता द्वारा करवाया जाता है और उसके वारिसान की और से जब तक बेचान को सक्षम न्यायालय (सिविल न्यायालय) से निरस्त नही करवा लिया जाता है तब तक राजस्व न्यायालय में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा प्रस्तुत नही हो सकता है, वादिया ने प्रतिवादी नं. 3 द्वारा प्रतिवादी नं. 1 प्रार्थी के पक्ष मे तस्दीक करवाये गये विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में ना तो चैलेन्ज किया है ना ही निरस्त करवया है ना ही सहदायिकी है इसलिये वादिया का वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने से व विधि द्वारा वर्जित होने के कारण पोषणीय नही है। दावा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानानुसार खारीज होने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादिया वादकारण के अभाव में व विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारीज योग्य है।<br><br>अप्रार्थी वादी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि प्रतिवादी नं. 1 ने कानूनी तथ्यों को तोड मरोड कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थीया को कानूनी तौर पर दावा पेश करने का हक अधिकार या दावा पैत्रिक सम्पति मे प्रार्थीया ने अपने अधिकारों कमी घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। प्रार्थीया ने विक्रय पत्र दिनांक 24.11.15 को कानूनी शून्य एवं प्रार्थीया के अधिकारों पर बेअसर घोषित करने की इस्तदुआ चाही है जो श्रीमान न्यायालय का न्यायालय सुनने में सक्षम है। प्रार्थीया एक महिला है भारतीय संविधान लैंगिक भेदभाव को सम्पति के हक अधिकारों के संबंध मे स्वीकार नही करता है। पैत्रिक सम्पतियों में जितना हक पुत्र को होता है उतना ही हक कानूनन पुत्री को भी प्राप्त है। सन 2005 में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में संशोधित करके पुत्र और पुत्री के भेद | |

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

को समाप्त कर दिया था प्रार्थीया को वाद में वर्णित सम्पति में हक अधिकार भी सन 2005 में ही कानूनन प्राप्त हो गये कानूनन रूप से एक बार प्राप्त सम्पति को पुनः किसी नये कानून द्वारा भविष्य में नही छीनी जा सकती है। The repealing and Amending act 2015 दिनांक 13.05.2015 को लागू किया गया है जिसका अर्थ है यह कानून उन महिलाओं पर लागू होगा जिनका जन्म 13.05.2015 के बाद हुआ है। प्रार्थीया के संबंधस में उपरोक्त कानून लागू नही होता है। प्रार्थीया को पैत्रिक सम्पति में हक अधिकार 2005 में ही प्राप्त हो गये थे। अपनी सम्पति के हक अधिकारों के लिये केस कभी भी किया जा सकता है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अं. आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी हरिशचन्द्र द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

जबाब प्रार्थना प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस में प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुये कहा कि पुत्री व पुत्रों को पैतृक सम्पति में घोषणा का दावा लाने का अधिकार 2005 में हिन्दू उतराधिकार संशोधित अधिनियम के तहत दिया गया था, परन्तु 2015 में The repealing and Amending act 2015 से एक्अ रिअपील होने के कारण दावा लाने का अधिकार खत्म हो गये। आगे कथन किया कि जो दस्तावेज वादीया के पिता द्वारा प्रार्थी के पक्ष में भूमि बेचान कर निष्पादित करवाया है उसको सिविल न्यायालय ही निरस्त कर सकता है राजस्व न्यायालय नहीं। राजस्व न्यायालय को दस्तावेज को निरस्त करने का श्रवणाधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र अं0 आदेश 7 निमय 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारीज किया जावे। वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपनी बहस के समर्थन में गजट नोटिफिकेशन दिनांक 13.05.2015 व न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्लू 2009 (1)आरजे–170 प्रस्तुत की।

वकील अप्रार्थी (वादीया) ने अपने जबाब के अनुरूप तथ्यों को दौहराया व कथन किया कि दस्तावेज वाईड या वोईडेबल है यह अं. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में नही देखा जा सकता। अतः प्रार्थी (प्रतिवादी नं. 1) अं.आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारीज किया जावे।

बहस तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में सलग्न नकल जमाबंदी संवत 2069 से 2072 ग्राम डूमरा के ख.न. 428 रकबा 1.45 है0 की खातेदारी सुवालाल धन्नाराम गंगाधर बनवारी पिता बींजाराम हिस्सा 4/6 संदीप दलीप सुमित पिता महावीर संतोष पत्नी स्व0ह महावीर हिस्सा 1/6 विजेन्द्र जोगेन्द्र पिता गिरधारी तीजू पत्नी स्व0 गिरधारी हिस्सा 1/6 जाट सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

पत्रावली में प्रस्तुत विक्रय पत्र क्रम संख्या 2015001078 दिनांक 24.11.2015 के अनुसार बनवारी पुत्र बींजाराम उर्फ भूराराम जाति जाट द्वारा हरिशचन्द्र पुत्र छोटूराम जाति जाट को ख.न. 428 रकबा 1.45 है0 में हिस्सा 1/6 सम्पूर्ण को विक्रय किया गया है। उक्त विक्रय पत्र उप पंजियक मुकुन्दगढ के कार्यालय में पंजिबद्ध किया गया है। वादीया द्वारा दावा घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है तथा वाद में अपने पिता प्रतिवादी नं. 2 द्वारा किये गये बेचान को शून्य घोषित करने की रिलिफ चाही है। उक्त प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी (वादी) द्वारा उप पंजियक कार्यालय मुकुन्दगढ में पंजिबद्ध दस्तावेज को बिना निरस्त कराये ही वादग्रस्त भूमि की खातेदारी की घोषणा चाही है। पंजिबद्ध दस्तावेजों को निरस्त

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। चूंकि प्रतिवादी नं. 2 वादग्रस्त भूमि में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/6 का प्रार्थी (प्रतिवादी नं. 1) को बेचान कर चुका है जिसे अप्रार्थी (वादी) वकील द्वारा सक्षम न्यायालय अर्थात सिविल न्यायालय में चुनौती दी जाने का या निरस्त किये जाने का कोई सबूदात प्रस्तुत नही किया गया। अतः पंजिबद्ध दस्तावेज को निरस्त करने के उपरांत ही वादीया को वाद पत्र में वर्णित भूमि का खातेदार घोषित किया जाना संभव है। इसप्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं. आदेश7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वकील प्रार्थी (प्रतिवादी नं. 1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारीज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ